(क) क्या मार्च 2012 के अंतिम सप्ताह में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 12 कर्मी मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मारे गए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों के निकट संबंधी को मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है/मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) और (ख) : जी, हां । 27 मार्च, 2012 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के धनोरा पुलिस स्टेशन के पुसतोला और इदमपल्ली गांवों के बीच सी पी आई (माओवादी) द्वारा की गई आई ई डी विस्फोट की घटना में सी आर पी एफ के 12 कर्मी शहीद हुए थे । विस्फोट में गम्भीर रुप से घायल एक सी आर पी एफ कर्मी की 5 अप्रैल 2012 को मृत्यु हो गई ।**

**(ग) से (ङ) : कार्रवाई के दौरान मरने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मी के निकट सम्बन्धी को 15 लाख रुपए के अनुग्रह मुआवजे का भुगतान किया जाता है । इसके अतिरिक्त, नक्सली हमले में मारे गए सुरक्षा कर्मी के परिवार को केन्द्र सरकार की सुरक्षा संबंधी व्यय स्कीम के अन्तर्गत 3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है । नक्सली हमले में मरने वाले सुरक्षा कर्मी के परिवार को अनु्ग्रह राशि के भुगतान की राज्य सरकारों की अपनी-अपनी नीतियां भी हैं ।**